अनुदान संख्या 74 - विद्युत मंत्रालय
GRANT No. 74–MINISTRY OF POWER

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	7617,73,00		10851,66,00	8525,98,87	–2325,67,13
पूरक	Supplementary	3233,93,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					2323,20,42
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	1889,00,00		1916,00,00	1579,75,76	–336,24,24
पूरक	Supplementary	27,00,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					333,59,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (232567.13 लाख रु.) दिसम्बर, 2009, और मार्च, 2010 में प्राप्त किए गए 323393.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 72 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 21 प्रतिशत थीं।

बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.232567.13 lakhs) constituted 72 percent of the supplementary grants of Rs.323393.00 lakhs obtained in December, 2009 and March, 2010 and 21 percent of the total sanctioned provision.

Savings occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	2500.00	2302.00	2196.49	–105.51
पु.	R.	–198.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	70000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–70000.00			
मुख्य शीर्ष "2801'' बिजली	Major Head "2801" Power				
मू.	O.	689273.00	842969.58	842828.38	–141.20
पू.	S.	315819.00			
पु.	R.	–162122.42			

(I) 70000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552'' - "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम'' के अंतर्गत एक मामले में पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण पूर्णतया अप्रयुक्त रहा ।

(I) Provision of Rs.70000.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552" – "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana (RGGVY)" – due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष "2801'' - "सामान्य - अन्य व्यय - पीएचआरडी के अंतर्गत विश्व बैंक से टीएचडीसी को अदायगी'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 19.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 20.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, सहायता, लेखा और लेखा परीक्षा नियंत्रण, आर्थिक कार्य विभाग द्वारा वास्तविक प्राप्ति के आधार पर कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 18.76 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(II) Under Major Head "2801" – "General - Other Expenditure - World Bank Grant under PHRD to THDC" – the original provision of Rs.1.00 lakh was augmented to Rs.20.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.19.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.18.76 lakhs - due to requirement of less funds based on actual receipt by Controller of Aid, Account and Audit, Department of Economic Affairs.

(III) मुख्य शीर्ष "3451'' - "सचिवालय - विद्युत मंत्रालय'' - 303.51 लाख रु. की बचत (2500.00 लाख रु.

(III) Under Major Head "3451" – "Secretariat – Ministry of Power" – saving of Rs.303.51 lakhs

के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति न किए जाने, प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मूर्तरूप न लिए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "2801" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "ताप विद्युत उत्पादन" -

(क) "निदेशन और प्रशासन - केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण" - 163.62 लाख रु. की बचत (635.48 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों को बकाया की अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने और जल उपलब्धता संबंधी आधार सामग्री प्राप्त करने में विलम्ब होने की वजह से केन्द्रीय खान योजना एवं डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा अध्ययन पूरा न किए जाने के कारण हुई।

(ख) "बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र - प्रचालन और अनुरक्षण" - 12302.00 लाख रु. की बचत (14959.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बदरपुर ताप विद्युत केंद्र और संबंधित पक्षों के बीच बकाया देयताओं का समाधान न होने के कारण हुई।

(खा) "ग्रामीण विद्युतीकरण - अन्य व्यय - राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से संबंधित ग्रामीण विद्युतीकरण निगम" - 130000.00 लाख रु. की बचत (630000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में आम चुनाव होने और उसके बाद वर्षाकाल होने की वजह से स्कीम की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(गा) "सामान्य" -

(क) "अनुसंधान और विकास - केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान - 1350.00 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)

(against the sanctioned provision of Rs.2500.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, non-procurement of computers, non-materialisation of training programmes and economy measures.

(IV) Under Major Head "2801" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Thermal Power Generation" –

(a) "Direction and Administration - Central Electricity Authority" – saving of Rs.163.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.635.48 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment of arrears to retired/serving employees and non-completion of study by Central Mine Planning and Design Institute Limited (CMPDI) owing to delay in getting water availability data.

(b) "Badarpur Thermal Power Station - Operation and Maintenance" – saving of Rs.12302.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.14959.00 lakhs) was due to non-reconciliation of the outstanding liabilities between Badarpur Thermal Power Station and the concerned parties.

(B) "Rural Electrification - Other Expenditure - Rural Electrification Corporation for Rajiv Gandhi Gramin Vidyutikaran Yojana" – saving of Rs.130000.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.630000.00 lakhs) was due to slow progress of scheme owing to general elections in the first quarter of the financial year followed by monsoon season.

(C) "General" –

(a) "Research and Development-Central Power Research Institute" – saving of Rs.1350.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs) was due to

विशेषीकृत उपस्करों की अधिप्राप्ति में विलम्ब होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ''राष्ट्रीय उच्च विद्युत परीक्षण प्रयोगशाला लिमिटेड'' स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण'' - 1864.78 लाख रु. की बचत (7682.65 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सेवानिवृत्त/सेवारत कर्मचारियों को अदायगी के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने, विद्युत अधिनियम के प्रकाशित न किए जाने, प्रशासनिक कर्मचारी कालेज, हैदराबाद के परामर्शदाताओं द्वारा बिल प्रस्तुत न किए जाने और किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग'' - 300.00 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) किफायत के उपाय किए जाने के कारण हुई।

(iii) ''ऊर्जा दक्षता ब्यूरो'' - 2416.00 लाख रु. की बचत (8200.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बचत लैम्प योजना की कार्य पद्धति में परिवर्तन किए जाने और एसएमई स्कीम की कम बोली होने की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(iv) ''एपीडीआरपी परियोजनाओं के लिए परामर्शी प्रभार'' - 1948.00 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति ज्ञापन को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(v) ''त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम'' - 7874.00 लाख रु. की बचत (8000.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम परियोजनाओं पर कम व्यय स्वीकृत किए जाने की वजह से नोडीय अभिकरण को कम अदायगी किए जाने के कारण हुई।

delay in procurement of specialised equipments and non-approval of the scheme "National High Power Test Laboratory Limited" by the competent authority.

(b) "Other Expenditure" –

(i) "Central Electricity Authority" – saving of Rs.1864.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7682.65 lakhs) was due to requirement of less funds towards payment to retired/serving employees, non-publishing of electricity act, non-submission of bills by consultants of Administrative Staff College, Hyderabad and economy measures.

(ii) "Central Electricity Regulatory Commission" – saving of Rs.300.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to economy measures.

(iii) "Bureau of Energy Efficiency" – saving of Rs.2416.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8200.00 lakhs) was due to alteration in methodology of Bachat Lamp Yojana and reduction of provision at revised estimates stage owing to less bidding of SME scheme.

(iv) "Consultancy charges for APDRP projects" – saving of Rs.1948.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non approval of Expenditure Finance Committee Memo.

(v) "Accelerated Power Development and Reform Programme (APDRP)" – saving of Rs.7874.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8000.00 lakhs) was due to less payment to nodal agency owing to less sanction of expenditure on Accelerated Power Development and Reform Programme projects.

(vi) ''ऊर्जा संरक्षण'' - 3800.00 लाख रु. की बचत (5600.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यय वित्त समिति द्वारा 2010-11 और 2011-12 के दौरान ऊर्जा संरक्षण मिशन के लिए निधियां उपलब्ध कराए जाने के निर्णय की वजह से संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(vi) "Energy Conservation" – saving of Rs.3800.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5600.00 lakhs) was due to reduction of provision at revised estimates stage owing to decision of providing funds for energy conservation mission during 2010-11 and 2011-12 by Expenditure Finance Committee.

(V) दो शीर्षों के अंतर्गत 163.39 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परन्तु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 12 प्रतिशत और 93 प्रतिशत थीं।

(V) Under two heads savings of Rs.163.39 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 12 percent and 93 percent of the sanctioned provision.

2. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (33624.24 लाख रु.) मार्च,2010 में प्राप्त किए किए गए 2700.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

2. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.33624.24 lakhs) exceeded the supplementary grant of Rs.2700.00 lakhs obtained in March, 2010 and constituted 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–5000.00			
मुख्य शीर्ष "4801" बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4801" Capital Outlay on Power Projects				
मू.	O.	400.00	6595.00	6329.76	–265.24
पू.	S.	2700.00			
पु.	R.	3495.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लिए कर्ज	Major Head "6552" Loans for North Eastern Areas				
मू.	O.	17300.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–17300.00	.		
मुख्य शीर्ष "6801" बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज	Major Head "6801" Loans for Power Projects				
मू.	O.	166200.00	151646.00	151646.00	. .
पु.	R.	–14554.00			

(I) 22300.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दो मामलों में अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "4552" - "डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम" - 5000.00 लाख रु; और

(खा) मुख्य शीर्ष "6552" - "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज" - 17300.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "4801" - सामान्य अन्य व्यय - केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अंतर्गत 270.24 लाख रु. की बचत

(I) Provision of Rs.22300.00 lakhs remained wholly unutilised in two cases under the following major heads:-

(A) Major Head "4552" – "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings-North Eastern Electric Power Corporation" – Rs.5000.00 lakhs; and

(B) Major Head "6552" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" – Rs.17300.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount .

(II) Under Major Head "4801" – "General - Other Expenditure - Central Electricity

(400.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चार दीवारी के निर्माण के संबंध में न्यायिक मामला लंबित होने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''6801'' - ''सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - विद्युत वित्त निगम को कर्ज'' के अंतर्गत 14554.00 लाख रु. की बचत (147700.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कर्ज को अनुदान में बदले जाने की कठोर शर्त की वजह से स्कीम की धीमी प्रगति होने, पर्यवेक्षण नियंत्रण और आधार सामग्री अर्जन को लागू किए में उपयोगिताओं के वितरण में दक्षता की कमी होने और संचालन समिति के अनुमोदन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट देर से प्रस्तुत किए जाने के कारण हुई।

3. उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष ''4801'' - ''डीजल/गैस विद्युत उत्पादन - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रति संतुलित हो गईं'' - 3500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Authority" – saving of Rs.270.24 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to pending court case in connection with construction of boundary wall.

(III) Under Major Head "6801" – "Loans to Public Sector and Other Undertakings - Loans to Power Finance Corporation" – saving of Rs.14554.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.147700.00 lakhs) was due to slow progress of the scheme owing to stringent condition of conversion of loan into grant, lack of competency of distribution utilities in SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) implementation and delayed submission of detailed project reports for approval of Steering Committee.

3. The above savings were partly offset by excess under Major Head "4801" – "Diesel/Gas Power Generation - Investment in Public Sector and Other Undertakings - North Eastern Electric Power Corporation" – excess of Rs.3500.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.